उत्तर प्रदेश शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग–4
संख्या–411/77–4–16–100एन./14
लखनऊः दिनांक 31 मार्च, 2017

कार्यालय–ज्ञाप

अधिसूचना संख्या–रिट 145/77–4–14–100एन/14, दिनांक 10 फरवरी, 2015 के माध्यम से नोएडा,ग्रेटर नोएडा एवं यमुना एक्सप्रेस–वे प्राधिकरण में मुख्य अभियन्ता के पद पर कार्यरत श्री यादव सिंह सम्प्रति निलम्बित द्वारा अपनी पदावधि के दौरान औद्योगिक क्षेत्रों में निर्माण कार्यों का ठेका व्यक्तियों/संस्थाओं को देने में की गयी अभिकथित प्रक्रियागत अनियमितताये संगठित एवं व्यापक रूप से किये जाने, पदीय स्थिति का दुरूपयोग और भ्रष्ट आचरण के गंभीर आरोप की जॉच हेतु जॉच आयोग अधिनियम, 1952 (अधिनियम संख्या 60 सन् 1952) की धारा–3 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल द्वारा न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) श्री अमर नाथ वर्मा, निवासी ए0पी0सेन रोड, लखनऊ को एकल सदस्यीय जॉच आयोग के रूप में नियुक्त किया गया तथा निर्धारित अवधि में जांच पूर्ण न होने पर अधिसूचना संख्या–1500(1)/77–4–15– 100एन/14, दिनांक 31.07.2015 द्वारा जॉच आयोग का कार्यकाल 06 माह अर्थात दिनांक 10.02.2016 तक बढ़ाया गया। इस अवधि में भी जांच पूर्ण न होने पर अधिसूचना संख्या–86/77–4–15–100एन/14, दिनांक 10.02.2016 द्वारा जॉच आयोग का कार्यकाल पुनः 06 माह तक अर्थात दिनांक 10.08.2016 तक बढ़ाया गया। औद्योगिक विकास अनुभाग–4 की अधिसूचना संख्या–सीएस 414/77–4–16– 100एन/14 दिनांक 26.10.16 द्वारा प्रकरण में सम्यक् विचारोपरान्त उक्त एकल सदस्यीय जांच आयोग का कार्यकाल दिनांक 10.08.2016 के पश्चात आगे बढ़ाये जाने का अवसर नहीं पाया गया। फलतः एकल सदस्यीय जांच आयोग कार्यशील नहीं रह गया।

3. प्रस्नगत प्रकरण में श्री ज्ञान चन्द्रा, सचिव, एकल सदस्यीय न्यायिक जॉच आयोग, लखनऊ के पत्र दिनाक 27.10.2016 द्वारा आयोग में कार्यरत माननीय न्यायपूर्ति को सम्मिलित करते हुये समस्त कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों का वेतन भुगतान पूर्व में देय वेतन के अनुरूप ही दिनांक 11.08.2016 से लगायत दिनांक 26.10.2016 तक की अवधि का भी समस्त देय वेतन भुगतान करने संबंधी आदेश आयोग को आवंटित बजट धनराशि से किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

4. इस सन्दर्भ में सम्यक विचारोपरान्त यह पाया गया कि दिनांक 26.10.2016 तक आयोग कार्यरत रहा है, अतः दिनांक 11.08.2016 से दिनांक 26.10.2016 तक की अवधि का वेतन, का भुगतान किया जाना समीचीन होगा।

अतः माननीय न्यायपूर्ति को सम्मिलित करते हुये समस्त कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों का वेतन भुगतान पूर्व में देय वेतन के अनुरूप ही दिनांक 11.08.2016 से लगायत दिनांक 26.10.2016 तक की अवधि के समस्त देय के भुगतान की एतद्द्वारा स्वीकृत प्रदान की जाती है। इस संबंध में होने वाले व्यय का वहन वित्तीय वर्ष 2016–17 के सगत आय–व्ययक प्राविधान में उपलब्ध धनराशि से की जायेगी।

5. उक्त आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या– 177, दिनांक 31.03.2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

आज्ञा से,

रमा रमण
प्रमुख सचिव।

संख्या– 511 (1)/77–4–16तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) श्री अमर नाथ वर्मा, रेजि. 10/2, ए0पी0सेन रोड, लखनऊ।
2. श्री ज्ञान चन्द्रा, एच0जे0एस0 (रिटा0) स्थानीय पता–सी–849 सेक्टर सी, महानगर, लखनऊ।
3. आहरण वितरण अधिकारी, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग–3 उ0प्र0शासन।
4. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
5. पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0, लखनऊ।
6. आयुक्त, लखनकऊ एवं मेरठ मण्डल ।
7. अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु।
8. प्रबंध निदेशक, पिकप।
9. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा, गौतमबुद्धनगर।
10. जिलाधिकारी, लखनऊ एवं गौतमबुद्धनगर।
11. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ एवं गौतमबुद्धनगर।
12. न्याय (लेखा) अनुभाग–1।
13. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
14. एम0एस0एम0इ0 अनुभाग–3/औद्योगिक विकास अनुभाग–2
15. निबन्धक,मा0उच्च न्यायालय,इलाहाबाद/लखनऊ।
16. वित्त (सामान्य)अनुभाग–1/2।
17. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–6/12।
18. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
अनु सचिव।